न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 230 / 2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 276
दायर दिनांक :– 24.08.2022 निर्णय दिनांक :– 06.10.2025

1. जुगताराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सोनाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. राजादेवी पत्नी भींयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हीराराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. चम्पालाल पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. देवाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. अमराराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. पुरखाराम पुत्र जीवणराम फौत के कायम मुकाम

1/1. मथरा पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2. गोमदराम पुत्र पुरखाराम फौत के कायम मुकाम

1/2/1. मोहनी पत्नि गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2/2. धर्माराम पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2/3. शेराराम पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2/4. गीता पुत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2/5. धापू पूत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/2/6. संतोष पुत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/3. राणूलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/4. अमानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

1/5. बीरा पुत्री पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/5
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

06/10/25
सहायक कलेक्टर
(...दी)

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में प्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 876/757 रकबा 5.1800 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 की काश्त भूमि खसरा नम्बर 872/757 रकबा 1.1255, खसरा नम्बर 874/757 रकबा 2.5734 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 7 की काश्त भूमि खसरा नम्बर 880/757 रकबा 4.6701 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी–अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि के चिपती अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 1/5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 757/10 रकबा 4.1116 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस साथ में पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणीयों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 1/5 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 757/10 रकबा 4.1116 हैक्टेयर भूमि में से आना जाना पड़ता हैं। प्रार्थीगण की भुमि में जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 1/5 के खेत में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जाता था लेकिन अब अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2/1 ता 1/5 पुर्व में उपयोग लिया जा रहा रास्तो बंद करने पर आमादा है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 1/5 के खेत से लगती हुई जैसलां गेवल सड़क मौके पर चलती है। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार घंटियाली से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 876/757 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 757/10 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 878/757 के निकटतम खसरा नम्बर 757/10 के चिपता कटाण मार्ग है।

सहा... बाप (फलोदी)

3. यदि खसरा नंबर 757/10 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.1199 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम घंटियाली तहसील बाप के खसरा नंबर 757/10 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 0.1199 हैक्टेयर भूमि रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार घंटियाली द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अप्रार्थीगण द्वारा मांगे जाने पर प्रतिकर राशि का भुगतान किया जावे। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)